(3)

145/C

सं. फा. 13/4/94/न्याय/II/634 :— उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

पंजाब न्यायालय (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1994

(दिल्ली अधिनियम संख्या 4, 1994)

अधिनियम

(8-4-1994)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (1918 का अधिनियम सं. 6) में और आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम

भारत गणराज्य के 45वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा इसे निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम को पंजाब न्यायालय (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जाए।

(2) यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली शासन द्वारा इस सम्बन्ध में शासकीय राजपत्र में अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगा।

2. पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम संख्या 6) का संशोधन—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 में (1918 का पंजाब अधिनियम सं. 6)

(क) धारा 18(3), 22(1), 26, 27(1), 27(2), 28(1), 28(4), 29, 30(1), 30(3), 30(4) 37 39(1), 39(3) तथा 40(1) में आने

144/C

'अधीनस्थ न्यायाधीश' शब्दों तथा अभिव्यक्ति के लिए 'सिविल न्यायाधीश' शब्दों तथा अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा, तथा

(ख) धारा 18,21, 38(1), 38 (2), तथा 39(2) में प्रयुक्त "अतिरिक्त न्यायाधीश, शब्दों तथा अभिव्यक्ति के लिए "अतिरिक्त जिला न्यायाधीश" शब्दों तथा अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

वि. बि. पाण्डेय, उप सचिव

No. F.13/94/4-Judi. II/634.—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 8th April 1994 and is hereby published for general information :

THE PUNJAB COURTS (DELHI AMENDMENT) ACT, 1994

(Delhi, Act, No. 4 of 1994)

8-4-1994

(As passed by Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

ACT

to further amend the Punjab Courts Act, 1918 (Act No. 5 of 1918) as in force in the National Capital Territory of Delhi.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-fifth year of the Republic of India as follows :

1. Short title & commencement—(1) This Act may by called the Punjab Courts (Delhi Amendment) Act, 1994.

(2) It shall come into force on such date as may be notified in the Official Gazette by the Government of the National Capital Territory of Delhi in this behalf.

2. Amendment of Punjab Courts Act, 1918 (Punjab Act No. 6 of 1918)—In the Punjab Courts Act 1918 Punjab Act No. 6 of the 1918) as extended to the National Capital Territory of Delhi.

(a) for words and expression Subordinate Judge occuring in sections 18(8), 22(1), 26, 27(1), 27(2;, 28(1), 28(4), 29, 30(1), 30(3), 30(4), 37, 39(1), 39(3), and 40(1) the words and expression 'Civil Judge' shall be substituted and,

(b) for the words and expression 'Additional Judge' used in Sections 18, 21, 38(1), 38(2), and 39(2), the words and expression 'Additional District Judge' shall be substituted.

V. B. PANDEY,
Dy. Secy.